संख्या– 39 /VI-2/2012–4(5)2004

प्रेषक,

डा0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

संस्कृति ,पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग –2 देहरादून दिनांक : 06 फरवरी, 2013

विषय :–जनपद देहरादून में मोरवियन स्कूल के निकट थानी ग्राम में निर्माणाधीन सिविल सर्विसेस इन्स्टीट्यूट की पुनरीक्षित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1372/सि0सर्वि0पत्रा0/2012–13 दिनांक–10 जनवरी, 2013, शासनादेश संख्या–326/VI-2/2011–4(5)/2004, दिनांक–29 मार्च, 2011 तथा शासनादेश संख्या–533/VI-2/2011–4(5)/2004, दिनांक 05 नवम्बर, 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून में मोरवियन स्कूल के निकट थानी गांव में सिविल सर्विसेस इन्स्टीट्यूट के निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत ₹1487.54 लाख के सापेक्ष देय अवशेष ₹293.35 लाख की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्राविधानित धनराशि ₹375.00 लाख में से ₹293.35 लाख (₹दो करोड़ तिरानवे लाख पैंतीस हजार) मात्र की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय दो किस्तों में (प्रथम किश्त के पूर्ण व्यय होने पर द्वितीय किस्त आहरित/व्यय किये जाने हेतु) कार्य के संतोषजनक वित्तीय/भौतिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा। प्रस्तावित सभी कार्यो को एक प्रोजेक्ट के रूप में करते हुए प्रथम फेज के कार्यो यथा मुख्य भवन का निर्माण, पहुंच मार्ग का निर्माण, स्थल विकास कार्य, टेनिस कोर्ट आदि के कार्यो तथा अवशेष कार्यो को प्रत्येक दशा में दिनांक–31–3–2013 तक पूर्ण कर लिया जाय, ताकि cost over&run न हो। किसी भी स्थिति में पुनः पुनरीक्षित आगणन तथा नये कार्यो को प्रस्तावित नहीं किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को समय से भुगतान करते हुए कार्यो को अनुमोदित लागत पर ससमय पूर्ण कराया जाय। सभी कार्य निर्धारित समय सारिणी के साथ पूरे किए जाय व दिनांक

31–3–2013 तक समस्त स्वीकृति कार्यो के कार्य/मदवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से अवगत कराया जाय।

2. कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के शासनादेश सं0–475/XXVII(7)/2008 दिनांक–15–12–2008, 414/XXVII (7)/ 2007 दिनांक –23–10–2008 एवं सं0–594/ XXVII (7)/2010 दिनांक–9–6–2010 के अनुसार MOU गठित कर Bsr-chart/Pert-chart के अनुरूप उक्तानुसार समय से निर्माण कार्य पूर्ण कराये जायें। निर्माण कार्यो का गहन अनुश्रवण किया जाये।

3. पानी की कमी को दूर करने के लिए विकल्प के रूप में चैकडैम टैक्नीकल फिजिबिलिटी का परीक्षण वन विभाग/सिंचाई विभाग से कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4. प्रथम फेज के निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त इन्स्टीट्यूट को संचालित करने के लिए सुचारू प्रबन्धकीय व्यवस्था आवश्यक होगी। इस हेतु प्रशासकीय विभाग इन्स्टीट्यूट के सोसायटी पंजीकरण की कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करें। इन्स्टीट्यूट को C.S.I. Lucknow की भांति society mode संचालित किया जाये।

5. civil work से अलग प्रकृति के होने के कारण filtration plant, pumping hot water generator, furniture and air आदि के कार्यो/उपकरणों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कार्यवाही की जाय, तथा उक्त नियमावली का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल आफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित की जाय।

7. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय।

8. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

9. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

10. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

11. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय, तथा उपर्युक्त सामग्री ही प्रयोग की लायी जाय।

12. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219 (2006) दि0–30–6–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

13. उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–475/XXVII (7)/2008 दि0–15–12–2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित कर लिया जोयगा।

2. उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–00–03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद स्टेडियम–06–सिविल सर्विसेज संस्थान की स्थापना–24 वृहत निर्माण कार्य आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

3. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–200(P)/XXVII (3)/2012–13 दिनांक– 04 फरवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 39 /VI-2/2012–4(5) 2004 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रिरा नगर, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, देहरादून।
4. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. एन0आई0सी0 देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव